वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 231/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-01.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 01.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- कोतवालीः वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि वादिनी रीता देवी पत्नी घनश्याम ग्रा0 मनचोभा पो0 ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि प्रार्थिनी की पुत्री सानियाँ दवा लेने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गई हुई थी दवा लेकर घर वापस नही आई और मोबाइल और कुछ पैसा साथ मे लेकर गई और शाम को जब मै निकली अपने अगल-बगल पुछने पर पता नही चला एक व्यक्ति ने बताया उसका नाम संदिप यादव उसने बताया कि आपकी लड़की बलरामपुर मे हमको मिली थी और साथ मे मोबाइल भी ली थी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 3.6.25 को मु0अ0सं0 253/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 01.07.2025 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रमोद उर्फ गुड्डू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को समय 11.20 बजे आहोपट्टी हैडिल से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

प्रमोद उर्फ गुड्डू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 253/25 धारा 317(2),70(2) बीएनएस , 5g/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, कां0 जितेन्द्र यादव, कां0 अखिलेश कुशवाहा थाना कोतवाली आजमगढ़

02.थाना – अतरौलिया: साइबर फ्राड के दो शिकायत में कुल 13,000/- रूपये वापस कराया गया।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 16.11.2024 को आवेदक घनश्याम पुत्र लालचन्द निवासी बिलारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के खाते से फिनेंशियल फ्राड करते हुये 16,000 रु/- का साइबर धोखाधड़ी हुई जिसके क्रम मे आवेदक की शिकायत पर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 331112401xxxxx दर्ज कराया किया गया। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा फ्राड हुये कुल 6,000/- रु0 को होल्ड कर दिया गया। उसी क्रम में दिनांक 16.11.2024 को ही आवेदिका सरोजा पत्नी धर्मेन्द्र राजभर निवासी बिलारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के खाते से फिनेंशियल फ्राड करते हुये 17,000 रु/- का साइबर धोखाधड़ी हुई जिसके क्रम मे आवेदिका की शिकायत पर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 33111240xxxxxx दर्ज कराया गया। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा फ्राड हुये कुल 7,000/- रु0 को होल्ड कर दिया गया। उक्त दोनों शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश (फंड रिलीज आर्डर) के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी को अवगत कराते हुये आवेदकगण के होल्ड हुये क्रमशः 6,000/- रुपये व 7,000/- रुपये को वापस करा दिया गया।

➡ आवेदक घनश्याम व आवेदिका सरोजा उपरोक्त के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा आवेदकगण के खाते में होल्ड हुई धनराशि क्रमशः 6,000/- रुपये व 7,000/- रुपये को वापस कराया गया है।

पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

03.थाना अतरौलिया: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धार्मिक/अभद्र टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरणः-

दिनांक 30.06.2025 को दुर्गेश पाण्डेय पुत्र स्व0 बागेश पाण्डेय निवासी बूढनपुर (पांडे का पूरा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर धार्मिक/अभद्र टिप्पणी की गयी जिसके सम्बन्ध में वादी के लिखित प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 223/25 अन्तर्गत धारा 197(1)(c)/299/353(2) बीएनएस बनाम मनोज यादव पुत्र रमेश यादव निवासी पकड़डीहा थाना अतरौलिया आजमगढ़ के विरुद्द पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 01.07.2025 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपी मनोज यादव उपरोक्त को उसके घर से पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 223/25 धारा 197(1)(c)/299/353(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. मनोज यादव पुत्र रमेश यादव निवासी पकड़डीहा थाना अतरौलिया आजमगढ़

04. थाना-बरदहः- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 01.07.25 को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सूरज सिंह उर्फ रिक्की पुत्र विनोद सिंह ग्राम पारा थाना बरदह जनपद आजमगढ को सतैनी नहर पुलिया से समय करीब 04.30 बजे एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. सूरज सिंह उर्फ रिक्की पुत्र विनोद सिंह ग्राम पारा थाना बरदह जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद तमन्चा .315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 695/2008 धारा 380, 411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 मनीष सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
3. हे0का0 विहंगल यादव थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 विद्याकान्त थाना बरदह, आजमगढ़
5. का0 सूरज सिंह थाना बरदह, आजमगढ़ॉ

05. थाना-निजामाबादः- युवती से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.06.25 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त विजय पुत्र दीनदयाल ग्राम मुकुन्दपुर थाना रानी का सराय जनपद आजमगढ़ अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के पश्चात न मिलने पर दिनांक 21.06.25 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर उपरोक्त के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 226/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान व मेडिकल के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) BNS, व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 30.06.25 को म0उ0नि0 सानिया गुप्ता मय हमराह का0 संदेश सिंह व का0 विक्रांत विश्वकर्मा को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विजय विश्वकर्मा पुत्र दीनदयाल विश्वकर्मा निवासी मुकुन्दपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष को फरिहा चौराहे से समय करीब 20.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

01. विजय विश्वकर्मा पुत्र दीनदयाल विश्वकर्मा निवासी मुकुन्दपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 226/25 धारा 87,137(2) 65(1) BNS, व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1. म0उ0नि0 सानिया गुप्ता थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. का0 संदेश सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. का0 विक्रांत विश्वकर्मा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़